संचालनालय स्वास्थ सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/रा.बी.स.नि./14/ 443 भोपाल,दिनांक 23/12/2014

प्रति,

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

विषयः– म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि के नियमों में सरलीकरण बाबत्।

संदर्भः–
1. **म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ 12–32/14/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 28.08.2014**
2. **म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ 12–32/ 14/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 16.09.2014**

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। तद्नुसार राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के कियान्वयन प्रकिया में सरलीकरण के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत चिन्हित बीमारीयों के लिए रूपये 2.00 लाख तक के प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति को अधिकृत करने का विनिश्चय किया गया है, किन्तु नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

अतः उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि नियमों में संशोधन की प्रतीक्षा न करते हुए तत्काल मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत चिन्हित बीमारियों हेतु रूपयें 2.00 लाख तक के प्रकरणों का जिला स्तर पर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

संचालक(रा.बी.स.नि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र.)

पृ.क्र./4/रा.बी.सहा.नि./14/ 444 भोपाल,दिनांक 23/12/2014

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
6. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
8. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय म.प्र.।
9. श्री थॉमस एन.आई.सी. स्थानिय कार्यालय।

संचालक(रा.बी.स.नि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र.)